श्रम. नियोजन विभाग
Civil कंडिका
1985-86
1986-87 (II)
1987-88 (II)

[लोक ले० स० प्रकाशन संख्या 322]

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 314वां

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल), वर्ष 1986-87 (सिविल-II) एवं वर्ष 1987-88 (सिविल-II) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

[दिनांक........................को सदन में उपस्थापित]

विषय सूची

			पृष्ठ
(1) लोक लेखा समिति की मुख्य समिति का गठन		..	क-ख
(2) प्राक्कथन	..	..	ग
(3) आमुख	..	..	ङ
(4) प्रतिवेदन	..	..	1—60

48 एल० ए०

लोक लेखा समिति की मुख्य समिति का गठन

सभापति

(1) श्री विशेश्वर खाँ, स० वि० स०

सदस्यगण

(2) श्री मो० नेमतुल्लाह, स० वि० स०

(3) श्री शिवनाथ वर्मा, स० वि० स०

(4) श्री अवध बिहारी सिंह (महुआमा), स० वि० स०

(5) श्री प्रशान्त कुमार, स० वि० स०

(6) श्री पारसनाथ, स० वि० स०

(7) श्री भीखर बैठा, स० वि० स०

(8) श्री सुनील कुमार पुष्पम, स० वि० स०

(9) श्री विनोद कुमार यादवेन्दु, स० वि० स०

(10) श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु, स० वि० स०

(11) श्री विजेन्द्र चौधरी, स० वि० स०

(12) श्री देवब्रत प्रसाद, स० वि० स०

(13) श्री शिवनन्दन प्रसाद सिंह, स० वि० प०

(14) डॉ० मु० शमीम, स० वि० प०

(15) श्री नवल किशोर यादव, स० वि० प०

(16) डॉ० शंकर दयाल, स० वि० प०

(17) श्री महावीर लाल विश्वकर्मा, स० वि० प०

महालेखाकार कार्यालय

(*i*) श्री नन्द लाल, महालेखाकार लेखा परीक्षा (1), बिहार, पटना ।

(*ii*) श्री जय शंकर झा, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार, कार्यालय, पटना ।

वित्त विभाग

(*i*) श्री प्रद्युम्न सिन्हा, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ..

(*ii*) श्री वी० एन० पाण्डेय, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण

(1) श्री जे० पी० पाल, सचिव

(2) श्री भरेश चन्द्र सिंह, उप-सचिव

(3) श्री सीताराम सहनी, अवर सचिव

(4) श्री उदय प्रसाद सिंह, अवर सचिव

(5) श्री मदन मोहन मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी

(6) श्री जयदेव पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी

(7) श्री सुशील कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी

(8) श्री माणिक लाल हेम्ब्रम, प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल), 1986-87 (सिविल खण्ड II) तथा वर्ष 1987-88 (सिविल खण्ड II) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 314वां प्रस्तुत करता हूं। उक्त प्रतिवेदन दिनांक 19 नवम्बर 1999 को मुख्य समिति की बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् पारित किया गया है।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के क्रम में महालेखाकार, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग के पदाधिकारीगण समिति को जो सहयोग प्रदान किया है वह अविस्मरणीय है।

समिति के मा० सदस्यगण अपने बहुमूल्य समय निकालकर समिति के कार्य में जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिये मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभा सचिवालय में जिन पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उक्त प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को अपनी अथक मिहनत का जो परिचय दिया है उन्हें मैं अपनी तथा समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आशा है कि विभाग समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में शीघ्रता बरतेगी।

धन्यवाद

विशेश्वर खां,

सभापति,

लोक लेखा समिति।

(क) आमुख :— पृ० 1 से 56

प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की कंडिकाएँ :—

2.2.2, 2.2.4, 2.7, 2.2.5, 2.4, 3.7, 3.7.2, 3.7.3; 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.6.1; 3.7.6.3, 3.7.6 5; 3.7.7.1; 3.7.7.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.5, 3.7.6.1, 3.7.6.2; 3.7.6.3; 3.7.6.4, 3.7.6.5, 3.7.7.1, 3.7.7.2; 3.7.7.3।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 (सिविल) खंड II, पृ० 29—35।

कंडिकाएं :—2.2.4, 2.2.7, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9, 2.3.

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 (सिविल) खण्ड II

कंडिका :—2.2.2, 2.2.4, 2.6, पृ० 36—50

श्रम एवं नियोजन विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल), वर्ष 1986-87 (सिविल) II एवं 1987-88 (सिविल) IIकी कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

क्रमांक 1.

प्रकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की कंडिका 2.2.2

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

ग्रान्ट संख्या 17, मुख्य शीर्ष 287---श्रम एवं नियोजन 495---कैपिटल आउट से सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

मूल अनुदान	..	..	22,18,82,000 रुपये
अनुपूरक अनुदान	..	..	1,48,39,830 रुपये
कुल अनुदान	..	..	23,67,21,830 रुपये
वास्तविक व्यय	..	..	19,74,31,181 रुपये
बचत	..	..	3,92,90,649 रुपये
अभ्यर्पण	..	..	16,35,000 रुपये

उपरोक्त व्यय में 7,94,000 रु० जो आकस्मिकता निधि में मार्च 1986 में लेकर व्यय किए गए वे शामिल नहीं है जिसका समायोजन उस वर्ष के अंत तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि विभाग का बजट पर नियंत्रण नहीं है। 3,92,90,649 रु० की बचत हुई परन्तु मात्र 16,35,000 रु० ही अभ्यर्पित किये गये तथा व्यय जब मूल अनुदान तक भी नहीं हुआ तो अनुपूरक अनुदान की क्या आवश्यकता थी ?

कंडिका 2.2.2.—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1985 – 86 के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनुपूरक अनुदान में 11 मामलों में 54.63 करोड़ रुपये की जो राशि ली गयी है वह अनावश्यक सिद्ध हुए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उक्त अवधि में 1,48,36,830 रुपये का अनुपूरक अनुदान लिया गया था जिसमें से 59,04,830 रुपये वित्तीय वर्ष 1994-85 से संबंधित है, जो लेखा प्रक्रिया से संबंधित है इसका। व्यय वर्ष 1984-85 में

बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम लेकर किया जा चुका है, का सामंजन वित्तीय वर्ष 1985-86 में किया गया है। शेष राशि 89,35,000 रुपये का अनुपूरक अनुदान में इसलिये लिया गया क्योंकि वर्ष 1985-86 जो सप्तम पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था, में योजना उद्व्यय निर्धारित नहीं होने के फलस्वरूप वार्षिक आय-व्ययक में विभाग से संबंधित योजनाओं के लिये उपबंध प्रस्तावित नहीं किया जा सका। योजना उद्व्यय निर्धारित होने के उपरान्त ही विभागीय योजनाओं के लिये अनुपूरक व्यय विवरण में सारवान अनुसूची के द्वारा उपबंध किया गया।

उपर्युक्त अनुपूरक उपबंध (1,48,39,830 रुपये) में से श्रम पक्ष (श्मायुक्त) 75,86,630 रुपये से संबंधित है, जिसमें से वर्ष 1984-85 में 53,06,630 रुपये, जो आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय किये गये थे, का सामंजन वर्ष 1985-86 में हुए जो मात्र लेखा प्रक्रिया था, को लोक लेखा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन संख्या 286 (पृ० 35) में विभागीय स्पष्टीकरण को संतोषजनक मानते हुए इस मामले को समाप्त कर दिया है। इस तरह श्रमायुक्त से संबंधित शेष 22,80,000 रु० की राशि वैसी योजनाओं जिन्हें सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 में कार्यान्वित करना था, के लिये अनुपूरक में उपबंध प्रस्तावित किया गया। क्योंकि वर्ष 1985-86 सप्तम पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण समय पर विभागों का योजना उद्व्यय योजना आयोग के द्वारा निर्धारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप उन्हें वार्षिक आय-व्ययक में सम्मिलित नहीं किया जा सका। योजना उद्व्यय निर्धारित होने के उपरान्त संबंधित योजनाओं के लिये निधि का उपबंध अनुपूरक अनुदान में किया गया।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग को वास्तविकता पर आधारित बजट तैयार करना चाहिए तथा बजट की पूरी राशि को समय पर अभ्यर्पित करना चाहिए।

(1) विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस निदेश के आलोक में कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती कि विभाग बजट बनाते समय वास्तविकता पर ध्यान दें और समय पर अभ्यर्पण करें।

क्रमांक---2. अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की

कंडिका---2.2.4/2.7

बचत के कारण नहीं बताया जाना

अनुदान संख्या---17 के अन्दर व्यय नहीं करने के कारण 3.93 करोड़ रु० का बचत हुआ, परन्तु विभाग बचत का स्पष्टीकरण नहीं भेजा। रोजगार राहत योजना (2.68 करोड़ रु0) एवं कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू नहीं करने के कारण (0.56 करोड़ रु0) के बचत के कारण नहीं बताये गये। बचत होने का कोई स्पष्टीकरण विभाग को नहीं दिया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका--2.2.4.---भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1985-86 के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनुदान सं017 श्रम नियोजन के अन्तर्गत मुख्यतः रोजगार राहत योजना तथा कृषि में न्यूतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत क्रमशः 2.68 करोड़ तथा 0.56 करोड़ रुपये उपबंधित धन व्यवस्था से कम उपयोग किया गया है तथा इसके लिये कोई कारण नहीं बताया गया है जो कुल धन व्यवस्था का 16.60 प्रतिशत है।

उपर्युक्त बचत में श्रम पक्ष (श्रमायुक्त) कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने से संबंधित है। बचत का कारण श्रम एवं नियोजन विभाग के (श्रम पक्ष) द्वारा निधि का जो प्रत्यार्पण किया गया था उसमें बचत की स्थिति स्पष्ट की गयी थी, जो महालेखाकार, बिहार ने विनियोग लेखे 1985-86 में उसे सम्मिलित नहीं किये जाने के फलस्वरूप यह भिन्नता उत्पन्न हुई है। इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार ने अपने पत्रांक-6/बी 3--1085/87 श्रम नि०-30, दिनांक 30 जनवरी 1988 के द्वारा महालेखाकार, बिहार, रांची को उनके पत्र सं० ए०ए० 2—11 (17) 85-86/146, दिनांक 7 जनवरी 1988 तथा ए०ए०2 11 (17) 85-86×152, 8 जनवरी 1988 के प्रसंग में स्थिति स्पष्ट की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न), जिन्हें दिनांक 2 फरवरी 1988 को कि महालेखाकार के द्वारा प्रेषित अंतिम अनुदान को स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि विभागीय पत्रांक 6/बी 3—1019/86--श्र०नि०—178, दिनांक 12 मार्च 86, 6/बी 3—1018/86 श्र0नि0–166, दिनांक 10 मार्च 1986 167, दिनांक 10 मार्च 1986 तथा 220, दिनांक 31 मार्च 1986 के अन्तर्गत

क्रमशः 30,78,500 रु०, 7,88,100 रु०, 1,62,000 एवं रु० 24,01,330 का प्रत्यर्पण किया गया था। जिसका संसूचन वित्त विभाग द्वारा उनके संसूचन संख्या 41,56,57 एवं 58 सभी दिनांक 31 मार्च 1086 को किया गया तथा विभागीय पत्रांक 6/बी 3—1018/86—अ0नि0 217, 218, दिनांक 31 मार्च 1986 एवं 6/बी 3—1019/86 अ0नि0—216, दिनांक–31 मार्च 1986 के अन्तर्गत क्रमशः 24,930रु0, 62,967 एवं 15,45,700/रु0—का पुनर्विनियोग किया गया था जिसका संसूचन वित्त विभाग के संसूचन संख्या 4860,4859,4861 एवं 4858 सभी दिनांक 31 मार्च 1986 के द्वारा किया गया साथ ही महालेखाकार, बिहार को यह भी सूचित किया गया कि मद संख्या–ए (2) (3) के अन्तर्गत दर्शाये गये अंतिम व्यय को स्वीकार नहीं किया जाता है। सत्यापन दल द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन संख्या 6/बी 3—10100/93, दिनांक 29 जुलाई 1986, 5 दिनांक 31 जुलाई 1986 एवं 6/बी 3—1074/86 अ0नि0, दिनांक 22 अक्टूबर 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुरूप आंकड़ों का सामंजन किया गया होता तो अंतिम व्यय एवं अंतिम अनुदान जिसे वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया गया है, लगभग सामान्य होता और इस तरह 0.56 करोड़ बचत का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक बचत के कारणों का मार्च, 1988 तक सूचित नहीं किये किये जाने का प्रश्न है, के संबंध में महालेखाकार, बिहार के वर्णित पत्र का उत्तर विभागीय पत्रांक—6/बी 3—1085/87—र०नि०—30, दिनांक 30 जनवरी 1988 के द्वारा दिया जा चुका है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग के महालेखाकार को बचत के संबंध में समय पर स्पष्टीकरण देना था किन्तु विभाग द्वारा समय पर कार्य नहीं किया गया।

(1) विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग अपने पदाधिकारियों को यह निदेश जारी करे कि महालेखाकार को बचत के संबंध में समय पर स्पष्टीकरण महालेखाकार भेजें।

क्रमांक-3—अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की कंडिका 2.2.5

अनुदानों में लगातार बचत

अनुदान संख्या 17—श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत 1983-84 से 1985-86 तक के वर्षों में लगातार बचत होती रही, आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

बचत की प्रतिशतता

अनुदान संख्या	1983-84	1984-85	1985-86
17	49.36%	19.98%	16.60%

सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विभाग द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया और बचत होती रही।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 2.2.5.—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन है कि अनुदान संख्या 17 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत वर्ष 1983-84, 1984-85 एवं 1985-86 में लगातार क्रमश: 49.36%, 19.98% एवं 16.60% की बचत हुई। वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में लगातार बचत के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण संतोषजनक मानते हुए लोक लेखा समिति ने इसे समाप्त कर दिया है, जिसे लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 286 के पृष्ठ 29 पर देखा जा सकता है तथा वर्ष 1985-86 में बचत का कारण राजपत्रित एवं अराजपत्रित यथा, 8 सहायक श्रमायुक्त, 28 श्रम अधीक्षक तथा 120 श्रम निरीक्षक के पद रिक्त रहने तथा व्यय में मितव्ययिता अपनाने के कारण हुए। विभागीय प्रोन्नति समिति से 8 सहायक श्रमायुक्त के नामों की अनुशंसा समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण तथा श्रम अधीक्षक के 28 पद जो प्रोन्नति कोटा के थे को विभिन्न संवर्गों में किस अनुपात में कोटा निर्धारित किया जाये के निर्णय लेने में विलम्ब होने के फलस्वरूप रिक्त पद भरे नहीं जा सके। इसी प्रकार श्रम निरीक्षक के 120 पदों में से सीधी भर्ती के 93 पदों के लिए अधियाचना-पत्र अवर सेवा चयन पर्षद् को भेजा गया तथा शेष 27 पद प्रोन्नति कोटि के लिये सुरक्षित रखे गये। अवर सेवा चयन पर्षद् द्वारा 93 पदों के विरुद्ध

64 पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की अनुशंसा अपने पत्र संख्या 215; दिनांक 23 मार्च, 1985 द्वारा किया गया, के उपरान्त नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लग जाने के कारण भी बचत हुए। प्रोन्नति कोटि के सुरक्षित स्थानों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, फलस्वरूप बचत हुए।

समिति की निष्कर्ष एवं सिफारिश

(1) विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 4—अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की कंडिका 2.4
(परि० 2.3, क्रमांक 11)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 1985-86 के दौरान श्रम एवं नियोजन विभाग को 7.94 लाख रु० अग्रिम दिये गये थे जो वर्ष के अन्त तक समायोजित नहीं किये गये।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका सं० 2.4—इस कंडिका की परिशिष्ट 2.3 की मद संख्या 11 में जो 7.94 लाख राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से वर्ष 1985-86 में लेकर व्यय किये जाने का उल्लेख है, के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन है कि उक्त राशि का सामंजन आलोच्य वर्ष के अन्त में नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेशालय का यह कहना है कि आलोच्य वर्ष में द्वितीय अनुपूरक के बाद बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर 7,52,600 रु० व्यय किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के खण्ड 2 के मद संख्या 310 के द्वारा वर्ष 1986-87 में की जा चुकी है। शेष अग्रिम राशि को वित्त विभाग को प्रत्यार्पित कर दिया गया है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

(1) विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 5—अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की कंडिका-3.7
कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी

3.7.1—प्रस्तावना—कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लगाया गया। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 1951 में नियम लगाये गये।

1981 की जनगणना के अनुसार 3 मिलियन कृषि मजदूर इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। आधिक्य का उद्देश्य-मजदूरी की न्यूनतम दर काम के घंटे समयोपरि मजदूरी का भुगतान के आदि के विनियमन द्वारा अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले मजदूरों के शोषण को रोकना है।

3.7.2.–सांगठनिक स्वरूप—अधिनियम/नियमों के अंतर्गत मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय किया जाना श्रम विभाग को उत्तरदायित्व है और इस उद्देश्य के लिए 1975 से एक अलग निदेशालय कार्य कर रहा है जिसके अंतर्गत मंडलीय स्तर पर सहायक श्रम आयुक्त (ए० एल० सी०) जिला स्तर पर श्रम अधिक्षक तथा प्रखण्ड स्तर पर श्रम निरीक्षकों को रखें गये हैं।

3.7.3.—लेखा परीक्षा का क्षेत्र—जुलाई से अक्टूबर 1986 के दौरान निदेशालय तथा 38 जिलों में से 11 जिलों की नमूना जांच के फलस्वरूप लेखा परीक्षा में पाई गई बातें अनुवर्ती कंडिकाओं में दी गई है।

3.7.4.—वित्त बजट और लेखा—1979-80 से 1985-86 के अवधि में कुल बजट प्रावधान 527.38 लाख रुपये। जिसमें 51.41 लाख रुपये विशेष अंगीभूत योजना केन्द्रीय सहायता के रूप में की तुलना में व्यय 480.73 लाख रुपये विभाग द्वारा किये गए।

1980-81, 1981-82 और 1985-86 के दौरान 46.06 लाख रुपये का, बचत का कारण विभाग द्वारा श्रम निरीक्षकों का पद खाली रहता बतलाया गया।

1980-81 और 1981-82 के दौरान विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत अ० जा०/ अ० ज० जाति के एवं अन्य कमजोर वर्ग से आने वाले 100 निरीक्षकों के वेतन और भत्ते के लिए 27.25 लाख रुपये भारत सरकार ने दिए।

सरकार ने बतलाया (मार्च 1987) कि नियुक्ति एक लम्बी अवधि के प्रक्रिया होने के कारण अबतक पदों को भरा नहीं जा सका।

अनुपयोजित 27.25 लाख रु० में से 8.63 लाख रु० का अपवर्तन (मार्च 81-82) भारत सरकार की बिना पूर्व संस्वीकृति के ही विभाग द्वारा 11 जीपों की खरीद के लिए किया गया था। विभाग ने बतलाया (मार्च 1987) की जीपों की खरीद प्रवर्त्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण की एक भाग था और भारत सरकार की पूर्व संस्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। शेष राशि 18.62 लाख रुपये भारत सरकार को नहीं लौटाई गयी थी।

3.7.5. न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण में विलम्ब

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत निर्धारित दर की समीक्षा और पुनरीक्षण अधिक से अधिक 5 वर्षों के अन्तराल पर होना था। किन्तु लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कृषि मजदूरों के लिए 1974 में निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण अप्रैल 1982 में अर्थात् 8 वर्षों के अन्तराल में किया गया था।

जुलाई 1980 में हुए मुख्य कृषि मंत्रियों की सम्मेलन ने सिर्फ राशि की आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम मजदूरों की समीक्षा पुनरीक्षण कम-से-कम दो वर्षों में या सी० पी० आई० एम० (उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक) में 50 बिन्दुओं की वृद्धि होने पर जो पहले ही किया जाना चाहिये। यद्यपि 1982 में निर्धारित कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण जनवरी, 1983 में किया जाना था। जिस समय तक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में 64 बिन्दुओं की वृद्धि हुई थी, पुनरीक्षण अक्टूबर 1986 में किया गया अर्थात् उस समय जबकि उ० मू० सू० अं० जुलाई-दिसम्बर, 1982 में 490 से बढ़कर जनवरी-जून 1985 में 593 हो गया था।

3.7.6. नियमन उपाय—अधिनियम लागू किया जाना।

3.7.6.1. कार्यान्वयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण—अधिनियम की धारा 19 अप्रैल 20 में निरीक्षण की नियुक्ति और दावा प्राधिकारों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी लागू किया जाने की विधि की रूपरेखा वर्णित है।

वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य स्तर पर निदेशक की सहायता एक श्रम उपायुक्त, दो सहायक श्रम आयुक्त (ए० एम० सी०) और एक श्रम अधीक्षक करते हैं। जबकि मंडलीय स्तरों पर सहायक श्रम आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, जिला

स्तर पर श्रम अधीक्षकों का पद इस कैडर में कर्मिकों की कमी के कारण प्रवतक खाली पड़ा था। (मार्च 1987) इनके कार्यों के देखभाल। जिला के अन्य श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने वाले जिला श्रम अधीक्षकों द्वारा किए जाते हैं।

निरीक्षक कार्यान्वयन तंत्र की मूल इकाई है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान 225 संस्वीकृत पदों के मुकाबले निरीक्षकों की प्रभावशाली संख्या 190 थी। संवेदनशील घोषित किया गया था। सामान्य प्रखण्ड में एक और संवेदनशील प्रखण्ड में दो निरीक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य से 1983 और 1986 के मार्च के अन्त तक संस्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर 619 और 641 कर दी गई थी। पहले 3-4 प्रखण्डों के लिए निरीक्षक की नियुक्ति होती थी। इसके विरुद्ध क्रमशः 503 और 520 निरीक्षक पदस्थापित थे और 116 तथा 121 पद खाली थे। सरकार ने बतलाया (मार्च 1987) कि रिक्त पदों के लिए नियुक्ति के प्रयास किये जा रहे थे।

निम्नलिखित बातें भी पायी गईः--

(1) 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में 7.3 मिलियन कृषि मजदूर थे। विभाग के पास कोई योजना नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित होता कि वांछित लाभ मजदूरों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, सरकार ने बतलाया (मार्च 1987) कि कृषि कार्यों की योग बड़ा होने तथा इसके मौसमी स्वरूप के कारण सभी कृषि नियोजनों की सूची तैयार करना संभव नहीं था जबकि संगठित उद्योगों के मामले में किया जा सकता है।

(2) पंचायतस्तर पर त्रिपक्षीय समिति (मुखिया की अध्यक्षता में किसानों की और मजदूरों के दो प्रतिनिधियों) को मिलाकर की मध्यस्थतता द्वारा निपटाये गये विवादों की संख्या विभाग को ज्ञात नहीं थी। विभाग ने बतलाया (मार्च 1989) कि त्रिपक्षीय समिति के गठन के विचार का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि इसका कार्य उत्साहवर्धक नहीं था:--

3.7.6.2. निरीक्षण--नियमानुसार एक निरीक्षक को 4 पंचायतों और 12 गांवों के अन्तर्गत प्रतिमाह 50 निरीक्षण करना था। 1982-83 से 1985-86 के दौरान राज्य में निरीक्षकों द्वारा नहीं किए गये निरीक्षणों का प्रतिशत 9 से 54 के बीच था।

(1) सरकार ने बतलाया (मार्च 1987) कि निरीक्षण में कमी के मुख्य कारण श्रम निरीक्षकों को क्षेत्रों का असमान वितरण और बाढ़ तथा सूखे के दौरान निरीक्षण का स्थगन किया जाना था।

(2) न तो विभाग के पास नियोजकों की अद्यतन सूची उपलब्ध थी न निरीक्षकों के पास चूंकि नियोजकों की कोई सूची नहीं रखी गई थी। इसलिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि सभी स्थापनाओं का नियमित निरीक्षण किया गया था।

अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर कृषि मजदूर निदेशालय मंडलीय स्तर पर सहायक श्रमायुक्त (कृषि) और जिला स्तर पर श्रम अधीक्षकों को भी निरीक्षक घोषित किए गये हैं और इनके द्वारा निर्धारित संख्या में मासिक निरीक्षण किया जाना विभागीय अनुदेश में सन्निहित है। निदेशक और सहायक श्रमायुक्तों द्वारा किए गए निरीक्षकों का ब्योरा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। नमूना जांच में देखा गया कि 1980—86 के दौरान पटना और 1981-82 के बाद छपरा 1985-86 तक मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया अन्य जिलों में निरीक्षण की संख्या में काफी अन्तर था, मधुबनी और दरभंगा में किए गए निरीक्षण का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.7.6.3. अनियमितताओं के निपटारे में विलम्ब—निरीक्षण के परिणामस्वरूप राज्य में मुख्यतः कम मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में 1980-81 से 1985-86 तक अनियमितताओं के 2, 12, 856 मामलों का पता लगा, जिसके विरुद्ध कुल 50,280 मामलों का परिशोधन किया गया तथा 1984-85 के अन्त में 1,62,576 मामले निपटारे के लिए लंबित थे :—

इन वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों में लगातार वृद्धि हुए परन्तु 1983-84 से मामलों के निपटारे में लगातार कमी आई थी। सरकार ने बतलाया (मार्च 1987) कि मामलों के निपटारे तथा इसके जमाव को समाप्त करने के लिए विभाग को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए थे।

3.7.6.4. दावा याचिकाओं के निपटारे में विलम्ब—न्यूनतम दर पर मजदूरी के भुगतान में त्रुटि के लिए नियोजक के विरुद्ध कामगार की ओर से दावा याचिका दायर करने का अधिकार निरीक्षक को दिया गया है। दावों को

शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी और सभी ए० एल० सी० (कृषि) को उपयुक्त प्राधिकार घोषित किए हैं। क्षतिपूर्ति का भुगतान जो कि स्वीकृत दावे की राशि से दशगुणा से अधिक न हो, का प्रावधान अधिनियम म किया गया है।

लेखा परीक्षा में पायी गई कि :--

(1) 1980-81 से 1985-86 के दौरान पता लगाये गये 2, 12, 856 अनियमित मामलों में से 41,198 मामलों में विभिन्न अदालतों में दावा याचिकाओं दायर की गई।

(2) निटान नहीं किए गये मामलों की संख्या 1980-81 में 532 से बढ़कर 1985-86 के अंत तक 5227 हो गई थी।

(3) 35,971 मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए नकद रूप में 42.71 लाख रु० की तथा वस्तु रूप में 807 क्वींटल अनाज की वसूली का आदेश जांच अदालतों द्वारा दिया गया। असंवितरित तथा क्षतिपूर्ति की वसूली की स्थिति की जानकारी विभाग में या नमूना जांच किए गये जिलों में उपलब्ध नहीं थी।

(4) विभाग में ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो कि दोषमुक्त किए गए याचिकाओं का विश्लेषण कर चुके ताकि त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। सरकार ने बतलाया (मार्च 1987) की अधिकतर मामलों में दावा भुगतानों का निपटारा समझौता शर्तों पर किया गया था और मजदूरों को उनका बकाया स्थल पर मिल गया था। जिन मामलों में नियोजनगण दावे की भुगतान में असफल रहे उनको वसूली पब्लिक डिमांड रिकवरी ऐक्ट के अंतर्गत किया जाना था और ऐसे सभी मामलों को संकलित करने का प्रयास किया जा रहा था जिनमें राशि की बिक्री हो गई थी पर भुगतान नहीं हुए थे।

3.7.6.5. अभियोजन--अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों को भंग करने वाले नियोजकों के खिलाफ अभियोजन प्रारम्भ करने की शक्ति भी विभाग को प्राप्त है। 1979 में संशोधन के अनुसार निवारक दण्ड जैसे तीन वर्षों तक की कैद या तो 3000 रु० तक का जुर्माना या दोनों निर्धारित किया गया है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि:-

(1) 1980-85 के दौरान प्रारम्भ किए गए 752 अभियोजन मामलों में केवल 86 मामलों का निपटारा किया गया।

(2) लम्बित मामलों के 1980-81 में 313 से बढ़कर 1984-85 के अन्त तक 666 हो गये।

(3) जिन मामलों में जुर्माने किये गए थे या जिन मामलों में अभियोजन असफल हो गए, उनकी संख्या विभाग में उपलब्ध नहीं थी।

(4) श्रम अदालतों द्वारा किये गए जुर्मानों की राशि मात्र 4120 रु० थी।

3.7.97—कल्याण उपाय

3.7.7.1—श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 1979-80 से ग्रामीण श्रमिकों को प्रबुद्ध बनानें, उनकी संगठन क्षमता को बढ़ानें तथा विभिन्न श्रम कानूनों और कल्याण कार्यक्रमों से उन्हें अवगत करानें के लिए "एक ग्रामीण कैंपस संगठन" कार्यक्रम आयोजित किया गया।

1980-81 से 1985-86 के दौरान 9.93 लाख रुपये व्यय किये गए (1984-85 के दौरान कोई व्यय नहीं) इसमें विशेष संघीभूत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1980-81 से 1981-82 के दौरान दिये गए 7.50 लाख रुपये भी शामिल थे। 1980-81 से 1985-86 के दौरान 184 ग्रामीण कैंपस के आयोजन द्वारा प्रशिक्षित किये गए श्रमिकों की कुल संख्या निम्नलिखित है:—

प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या

वर्ष	हरिजन	अन्य	कुल
1980-81	2500	440	2940
1981-82	5000	315	5315
1982-83	शून्य	530	530
1985-86	शून्य	805	805
कुल	7500	2090	9590

1980-81 और 1981-82 के दौरान 7500 प्रशिक्षित ग्रामीण हरिजन श्रमिकों में से योग्यता और नेतृत्व क्षमता रखनेवाले 200 हरिजन श्रमिकों का चयन किया गया और इन्हें विशेष संगीभूत योजना के एक अंग के रूप में लागू किये गए ग्रामीण मजदूरों के गहन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 3,000 लाख रुपये की कुल लागत पर प्रतिवर्ष 100 प्रशिक्षणार्थी की दर से तीन महीने की अवधि के लिए सिद्धांत और अभ्यास में गहन प्रशिक्षण किया गया।

1982-83 से 1985-86 के दौरान विशेष किसी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था। ग्रामीण मजदूरों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उनके बीच स्वैछिक कल्याण कार्य के लिए ग्रामीण मजदूरो को संगठित करना था।

उपलब्ध सूचना के आधार पर 1985-86 के अंत तक ग्रामीण मजदूरों के लिए 66 ट्रेड यूनियनों का संगठन और निबंधन किया गया था। निम्नलिखित बातें भी पायी गई थी :—

(1) 1980-81 से 1982-83 के दौरान 8,390 ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षित किए गए थे जो कि राज्य के कृषि मजदूरों की कुल संख्या 7.3 मिलियन के सिर्फ 0.1 प्रतिशत थे।

(2) गहन प्रशिक्षण किये गए 200 श्रमिक नेता 1980-81 से 1981-82 के दौरान 7,500 प्रशिक्षित हरिजन ग्रामीण मजदूरों के 2.7 प्रतिशत थे।

ऐसे निबंधित यूनियनों जिनकी सदस्य संख्या 50 या अधिक थी और जिनके अधिकांश सदस्य हरिजन थे को 1500 रु० की आर्थिक सहायता देने की योजना भी राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1980-81 से 1985-86 के दौरान 100 लक्ष्य प्रावधान 3.80 लाख रुपये के मुकाबले केवल 12 यूनियनों को आर्थिक सहायता 0.19 लाख रुपये दी गई थी और 3.61 लाख रु० अनुपयोजित शेष रह गये थे जिससे पता चला कि शेष 54 यूनियनों की सदस्य संख्या 50 मजदूरों से कम थी।

अगर कृषि मजदूरों द्वारा प्रस्तुत दावों को जागरूकता का सूचक माना जाय तो प्रशिक्षण का प्रस्ताव नगण्य था क्यों कि 7.3 मीलियन कृषि मजदूरों की संख्या वाले राज्य में 1980-81 के दौरान मजदूरों द्वारा केवल 41198 दावे प्रस्तुत किये गए थे जबकि इसी अवधि के दौरान कम मजदूरी भुगतान के 212856 मामलों का पता विभागीय अधिकारियों द्वारा लाया गया। दिये गए प्रशिक्षण के प्रभाव के निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

वास्तव में 1980-81 और 1981-82 के दौरान विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत राज्य को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के संबंध में विचार करते समय भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया था (सितम्बर 1982) कि जबतक ऐसे प्रशिक्षण पर स्पष्ट अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती प्रशिक्षण का प्रभाव नगण्य होना अवश्यंभावी था।

3.7.7.2. मजदूरों को वैध सहायता—अनुसूचित जाति के कृषि मजदूरों को, जिन्हें मजदूरी विवाद से संबंधित मुकदमें लड़ने के लिए अदालत जाना पड़ता था आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 11 मजदूरों के वैध सहायता की योजना भी राज्य सरकार ने तैयार की। 1981-82 के दौरान विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत 2.00 लाख रु० दिये गये थे जिसमें से केवल 0.28 लाख रु० व्यय किए गये थे और 1.72 लाख रु० अनुपयोजित रहे।

1982-83 से 1984-85 के दौरान किसी प्रकार की निधि नहीं दी गई थी। यद्यपि 1985-86 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोत से 0.80 लाख रुपये व्यय किये गये, लाभान्वितों की संख्या विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

3.7.7.3. ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र—विभिन्न कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए 1980-81 से 1985-86 के दौरान 29.77 लाख रुपये की लागत पर 41 ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे। जिनमें 14 केन्द्र बिना किसी संगठनकर्त्ता के चल रहे थे।

1980-81 और 1981-82 के दौरान कल्याण क्रिया-कलापों के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये 8.16 लाख रुपये में से केवल 0.90 लाख रुपये व्यय किए गये थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 3.7.1.—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में जो बातें कही गई हैं वे सही है। समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, इत्यादि का पुनरीक्षण एवं निर्धारण विभाग द्वारा किया जाता है।

कंडिका 3.7.2.—कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन की जवाबदेही श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के श्रम पक्ष की है और इस कार्य हेतु वर्ष 1988 में एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई है, जिसका नाम कृषि श्रमिक निदेशालय है। निदेशालय के प्रभारी निदेशक, कृषि श्रमिक होते हैं जिनके अधीन उप-श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) एवं सहायक श्रमायुक्त) (कृषि श्रमिक) प्रमण्डल स्तर पर तथा श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) जिला स्तर पर कार्यरत है। प्रखण्ड स्तर पर यह उत्तरदायित्व श्रम निरीक्षकों (अब श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी) को दी गई हैं।

3.7.3.—वर्ष 1986 में जुलाई-अक्टूबर माह में कृषि श्रमिक निदेशालय एव 11 जिलों यथा, पटना, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, रांची, गया, सिंहभूम, सारण पलामू, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में जांच प्रेक्षण किया गया था, सही है।

3.7.4.—उपर्युक्त वर्षों में बजट उपबंध एवं व्यय की स्थिति जो दर्शायी गई है, के बचत का कारण वर्षवार जिसे महालेखाकार को सूचित किया गया है। जिस पर विभाग को कोई मंतव्य नहीं देना है।

जहांतक वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 27.25 लाख रुपये जो 100 श्रम निरीक्षकों (अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए) की नियुक्ति करने के लिए दी गई। उपर्युक्त श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति समय पर नहीं होने के कारण भी सूचना महालेखाकार को दी गई थी कि नियुक्ति एक श्रम साध्य कार्य है यथा अवर सेवा चयन पर्षद् को अभियाचना भेजना एवं पर्षद् द्वारा योग्य उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराने पर ही विभाग द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। चूंकि अवर सेवा चयन पर्षद् द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सफल उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति नहीं हो सकी तथा उपबंधित राशि (रु० 27.25 लाख) में से कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर 11 (ग्यारह) जीपों का क्रय किया गया। इस तरह उक्त राशि में से 8.63 लाख का सदुपयोग किया गया तथा शेष राशि 18.62 लाख को सरकार को प्रत्यर्पित कर दिया गया।

कंडिका 3.7.5.—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कथन है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण राज्य सरकार को 5 वर्षों के अन्दर करना है, परन्तु जो पुनरीक्षण किया गया वह 5 वर्षों से अधिक के अन्तराल में किया गया।

इस संबंध में विभाग को यह कहना है कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण कारंवाई वर्ष 1979 में प्रारम्भ की गई तथा गठित स्थायी कृषि श्रमिक परामर्शदातृ समिति की अनुशंसा मांगी गई। उक्त समिति ने उप-समिति के प्रतिवेदन के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दरें अनुशंसित की। जिसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण मजदूरी कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो गई।

अतः राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अनुसार सम्बंधित व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया। तदनुसार प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित किया गया। प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना से प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के समक्ष रखा गया तथा पर्षद की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षण सम्बन्धी अन्तिम रूप से निर्णय लिया गया। इस तरह पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जटिलता के कारण ही इस नियोजन में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण में विलम्ब हुआ है।

हालांकि राज्य सरकार ने श्रम मंत्री सम्मेलन वर्ष 1980 में की गई अनुशंसा को सिद्धान्त रूप में मान लिया है। फिर भी पुनरीक्षण हेतु अधिनियम में निहित सभी विधि विहित प्रक्रिया के अनुपालन में अधिक समय लग जाना स्वभाविक है।

कंडिका 3.7.6.1.—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उपर्युक्त मंतव्य से विभाग सहमत है कि श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) में कमी के फलस्वरूप प्रत्येक जिले में श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) को स्वतंत्र रूप से पदस्थापित नहीं किया गया। इसी प्रकार श्रम निरीक्षकों (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी) के स्वीकृत बल के अनुरूप पदस्थापन नहीं होने के फलस्वरूप कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कठिनाई हुई। इसका कारण यह है कि नियुक्ति की औपचारिकतायें पूरी करने में काफी समय लग जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा दिए गये मंतव्य (वर्ष 1984-85) को लोक लेखा समिति ने स्वीकार कर लिया है। उपर्युक्त (1) के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में दी गई सूचना से आज भी विभाग सहमत है।

(1) इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा अधिनियम के तहत कृषि-श्रमिकों को लाभ उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत केवल 15 एकड़ भूमि जोतकारों कृषकों की सूची बनाई गई है, इस तरह के नियोजकों की संख्या 65,390 है।

(2) विभाग द्वारा बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के प्रत्येक पंचायत में एक त्रिदलीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। त्रिदलीय समिति के गठन का उद्देश्य यह था कि न्यूनतम मजदूरी के विवाद को इस समिति के द्वारा निपटारा किया जाय। पूरे बिहार राज्य में त्रिदलीय समिति द्वारा 7,667 परिवाद पत्रों का निष्पादन किया गया। निष्पादन के फलस्वरूप रुपये 12,35,679.75 नगद एवं 321 क्विंटल 68 किलो अनाज बकाये मजदूरी का भुगतान समिति द्वारा मजदूरों को कराया गया। विभाग द्वारा जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर ऐसे समिति के गठन का निर्णय नहीं लिया गया है। त्रिदलीय समिति को कानूनी रूप देने के लिए त्रिदलीय समिति के लिए मनोनीत सदस्यों एवं अध्यक्ष को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसके लिए जिला पदाधिकारी द्वारा जिला गजट में प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई थी; परन्तु अधिकांश जिलों में जिला गजट में त्रिदलीय समिति के गठन का प्रकाशन नहीं होने के कारण इस समिति का कार्य प्रोत्साहित नहीं हो सका।

कंडिका 3.7.6.2.—प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक द्वारा कम निरीक्षणों के उल्लेख का कारण यह कि एक तो वांछित संख्या में श्रम निरीक्षक उपलब्ध नहीं थे तथा दूसरे जो भी श्रम निरीक्षक कार्यरत थे उनको जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था (बाढ़, सुखाड़, इत्यादि) में लगाए जाने के फलस्वरूप निर्धारित मापदंड से निरीक्षण कम हुए।

(II) बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रत्येक श्रम निरीक्षक द्वारा प्रत्येक कृषि नियोजकों की सूची का संधारण करना कठिन कार्य है। परन्तु प्रत्येक श्रम निरीक्षक द्वारा 15 एकड़ एवं उससे अधिक जोत रखनेवाले कृषि नियोजकों की सूची रखते हैं और राज्य स्तर पर ऐसे कृषि नियोजकों की सूची है जिसके अनुसार 65,390 कृषि नियोजक हैं। प्रत्येक श्रम निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे कृषि इकाइयों का निरीक्षण करते आ रहे हैं तथा ऐसे दोषी नियोजकों के विरुद्ध दावा

पत्र एवं अभियोजन दायर करते आ रहे हैं। उनके द्वारा ऐसे कृषि इकाइयों में नियमित निरीक्षण करने के परिणामस्वरूप 2,78,568 निरीक्षण किये गये, 7,490 दावा-पत्र दायर किये गये एवं 6,398 दावा-पत्रों का निष्पादन किया गया। निष्पादन के फलस्वरूप दिलाई गई राशि नगद–6,44,832.40, अनाज 810 क्विंटल 46 किलो ग्राम तथा क्षतिपूर्ति के रूप में नगद 5,22,57.00 रुपये, अनाज 46क्विंटल 45 कि० ग्राम दिलाया गया। 94 अभियोजन दायर किये गये तथा 42 अभियोजन का निष्पादन किया गया। आर्थिक दण्ड के रूप में 3426/– रुपये दिलाया गया।

(III) विभाग द्वारा प्रत्येक श्रम निरीक्षक के लिए प्रत्येक माह में कार्यों का मापदण्ड निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक श्रम निरीक्षक को 4 पंचायत, 12 ग्राम एवं 50 निरीक्षण निर्धारित है। विभाग द्वारा जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक प्रमण्डल स्तर पर सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक तथा राज्य स्तर पर निदेशक, कृषि श्रमिक के लिए कार्य का मापदंड नहीं निर्धारित किया गया था। परंतु कृषि श्रमिक निदेशक के अधीनस्थ कार्यरत सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक एवं श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक के कार्यों का पर्यवेक्षीय निरीक्षण किया जाता रहा है। इसी तरह सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक द्वारा अधीनस्थ श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक एवं श्रम निरीक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। ताकि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान खेतीहर मजदूरों को कराया जा सके। जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक के द्वारा अपने अधीनस्थ श्रम निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। जिससे खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलता चला आ रहा है। श्रम निरीक्षक कृषि इकाइयों का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण पंजी भी रखते चले आ रहे हैं।

न्यायालय द्वारा दावा-पत्र के निष्पादन के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

कंडिका 3.7.6.3.—जहां तक अनियमितताओं के निर्धारण करने का प्रश्न है के संबंध में विभाग को यह कहना है कि निरीक्षण के दौरान पाये गये उल्लंघनों में से अधिकांश का निष्पादन आपसी समझौता द्वारा करा दिया गया तथा जहां समझौता नहीं हो सका वहां पर दावा-पत्र दायर किया जाता है। कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित स्तरों पर दावा-पत्रों की

सुनवाई की शक्तियां अंचलाधिकारी, अनुमण्डलाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, श्रम न्यायालय तथा सहायक श्रमायुक्त (कृ० श्र०) को प्रदान की गई है। उपरोक्त न्यायालयों में दावा-पत्रों के निष्पादन में प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है। यथा मजदूर गवाही हेतु समय पर उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप सुनवाई बाद में होती है जिसके चलते निष्पादन में विलम्ब होता है।

कंडिका 3.7.6.4.—उपर्युक्त सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा दावा-पत्रों को निष्पादन कर जो राशि दंड स्वरूप तय की जाती है तथा उसका भुगतान नियोजक द्वारा नहीं किया जाता है वैसी स्थिति में सर्टिफिकेट जारी करने की कारंवाई की जाती है। चूंकि इसकी शक्ति जिला प्रशासन को प्राप्त है, इसमें विलम्ब होना स्वभाविक है।

कंडिका 3.7.6.5.—चूंकी अभियोजन की कारंवाई एस० डी० जे० एम०, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालयों में होती है जिसपर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इसमें होनेवाले विलम्ब के सम्बन्ध में विभाग कुछ भी कहने में असमर्थ है।

कंडिका 3.7.7.1.—इस सम्बन्ध में विभाग को कोई मंतव्य नहीं देना है परन्तु (1) के संबंध में यह ज्ञातव्य हो कि रु० 1500 का अनुदान किसी श्रमिक संघों को नहीं दिया जाता है वरन् 20 ऐसे संघों के फेडरेशन की संख्या कम है एवं एक ही फेडरेशन को बारम्बार अनुदान नहीं मिल जाय इसलिए उपबंधित राशि से कम व्यय हुए।

कंडिका 3.7.7.2.—कृषि श्रमिकों को कानूनी सहायता परियोजना का यह लक्ष्य है कि जब कृषि श्रमिक दावा-पत्रों की सुनवाई के सिलसिले में गवाही देने न्यायालय में उपस्थित होते हों तो मजदूर को उस दिन की मजदूरी नहीं मारी जाय। इस हेतु एक मुश्त राशि निदेशक, कृषि श्रमिक को उपलब्ध करा दी गई थी जहां से राशि का पुनर्वितरण सहायक श्रमायुक्तों को की जाती है। परन्तु कृषि श्रमिक नियोजकों के विरुद्ध गवाही देने में कतराते हैं। अतः उपबंधित राशि का व्यय नहीं हो सका।

कंडिका 3.7.7.3.—समाज आयोजक की नियुक्ति अवर सेवा चयन पर्षद् की अनुशंसा पर की जाती है। चूंकि रिक्त पदों को भरने के लिये अधियाचना अवर सेवा चयन पर्षद् को विभाग द्वारा दी गई थी, परन्तु पर्षद् द्वारा सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा समय पर नहीं की जा सकी।

अतः नियुक्ति नहीं हो पाई। इसलिये पद रिक्त रहे।

वंचित

पावती सहित

संख्या-6/वी3-1085/87-श्र०नि०—30

बिहार सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

प्रेषक,

श्री मुख्त्यार सिंह,

श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार।

रांची 834002.

दिनां० 30 जनवरी, 1988।

विषय—बिहार सरकार के विनियोग लेखे 1985-86 का प्रारूप विनियोग सं० 17, मुख्य शीर्ष "287"

निर्देश—महालेखाकार, बिहार-1, रांची के पत्र सं० ए० ए०2-11(17)1985-86/146, दिनांक 8 जनवरी 1988 तथा ए० ए० 2-11(17)1985-86/152, दिनांक 8 जनवरी 1988

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 19 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुआ है, के प्रसंग में सूचित करना है कि मद सं० ए1(2)(5), ए1(4)(6), ए1(6)(3) तथा ए1(6)(4) के अन्तर्गत दर्शाये गए अन्तिम अनुदान को स्वीकार किया जाता है।

2. मद सं० ए1 (1)(1), ए1(1)(2), ए1(2)(1), ए1(2)(2), ए1(2)(3), ए1(2)(4), ए1(2)(6), ए1(3)(1), ए1(3)(2), ए1(3)(3), ए1(4)(1), ए1(4)(4), ए1(4)(5)(1), ए1(5)(1), ए1(6)(1) ए1(6)(2) तथा ए2 (5)(12) के अन्तर्गत दर्शाये गए अन्तिम अनुदान को स्वीकार नहीं किया जाता है।

क्योंकि विभागीय पत्रांक 6/बी3-1019/86-श्र० नि-178, दिनांक 12 मार्च 1986 6/बी 3-1018/86-श्र० नि०-166, दिनांक 10 मार्च 1986, 167, दिनांक 10 मार्च 1986 तथा 220, दिनांक 31 मार्च 1986 के अन्तर्गत क्रमश: रु० 30,78, 500, रु० 3, 88, 100, रु० 1, 62, 000, एवं रु० 24, 01, 330 का प्रत्यापण किया गया जिसका संसूचन वित्त विभाग द्वारा उनके संसूचन 41, 56, 57 एवं 58 सभी दिनांक 31 मार्च 1986 को किया गया।

3. इसी प्रकार विभागीय पत्रांक 6/बी3-1018/86-श्र० नि०-217, 218, दिनांक 31 मार्च 1986 एवं 6/बी3-1019/86-श्र० नि०-216, दिनांक 31 मार्च 1986 के अन्तर्गत क्रमश: रु० 24, 930/ रु० 62, 969/ एवं रु० 15, 45, 700 का पुनर्विनियोग किया गया था जिसका संसूचन वित्त विभाग के संसूचन सं० 4860, 4859, 4861 एवं 4858 सभी दिनांक 31 मार्च 1986 के द्वारा किया गया।

अतः उपर्युक्त प्रत्यार्पण एवं विनियोग आदेश के आलोक में अन्तिम अनुदान निम्नप्रकार से होंगे :--

मद संख्या		अन्तिम अनुदान
1		
गैर योजना—		
ए1(1) (1)	..	40, 43, 150
ए1(1) (2)	..	61, 36, 960
ए1(2) (1)	..	10, 25, 610
ए1(2) (2)	..	61, 91, 305
ए1 (2) (3)	..	1, 32, 61 405
ए1 (3) (2)	..	7, 68, 5400
ए1 (3) (3)	..	54, 29, 700
ए1 (4) (1)	..	40, 17, 865
ए1 (5) (1)	..	14, 26, 415
योजना—		
ए1 (2) (4)	..	3, 95, 900
ए1 (2) (6)	..	11, 044

मद सं०		अन्तिम अनुदान
ए1 (3) (1)	..	4, 56, 524
ए1 (4) (4)	..	28, 747
ए1 (4) (5)	..	99, 685
ए1 (6) (1)	..	66, 527
ए1 (6) (2)	..	59, 509
ए2 (5) (12)	..	1, 70, 563

इसी प्रकार मद सं० ए1 (2) (2), ए1 (2) (4), ए1 (2) (5), ए1 (3) (2), ए1 (3) (3), ए1 (6) (3), ए1 (6) (4), तथा ए2 (5) (2) के अन्तर्गत दर्शाये गए वास्तविक व्यय को स्वीकार किया जाता है।

मद संख्या ए1 (1) (1), ए1 (1) (2), ए1 (2) (1), ए1 (2) (3), ए1 (2) (6), ए1 (4) (1) तथा ए1 (4) (4) के अन्तर्गत दर्शाये गये वास्तविक व्यय को स्वीकार नहीं किया जाता है क्यों कि विभागीय सत्यापना दल के सत्यापन प्रतिवेदन 6/बी3-1010/85-श्र० नि० 3 कैम्प रांची, दिनांक 29 जुलाई 1986 5-कैम्प रांची, दिनांक 31 जुलाई 1986, 6/बी2-1074/84-श्र० नि०-6 कैम्प रांची दिनांक 22 अक्टूबर 1986 के अनुसार विभागीय आंकड़ों का समंजन पूर्ण रुप से नहीं किए जाने के फलस्वरूप वास्तविकी व्यय के आंकड़ों में भिन्नता हुई है। यदि सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर यदि शत-प्रतिशत समंजन किया जाता तो विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविकी आंकड़े निम्न प्रकार से होते:—

मद सं०		वास्तविकी
ए 1 (1) (1)	..	40, 43 133
ए 1 (1) (2)	..	61, 36, 958
ए 1 (2) (1)	..	10, 25, 609
ए 1 (2) (3)	..	1, 31, 41, 702
ए 1 (2) (6)	..	11, 042
ए 1 (4) (1)	..	40, 17, 863
ए 1 (4) (4)	..	88, 751
ए 1 (4) (6)	..	40, 000

इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रम कल्याण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत न तो अन्तिम अनुदान और न ही अन्तिम व्यय ही दर्शाया गया है, जबकि इस उपशीर्ष के अन्तर्गत हुए व्यय रु० 9, 797/ सम्प्रेक्षण आपके कार्यालय में किया गया है।

जहाँ तक मद सं० ए 1 (2) (3) के स्तम्भ 4 में दर्शाये गए बचत सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यह बचत महालेखाकार, बिहार द्वारा प्रत्यापित राशि को नहीं दर्शाये जाने के फलस्वरूप हुए हैं।

प्राक्कल विनियोग के मद सं० ए 1 (2) (7), ए 1 (4) (2), ए 1 (4) (3) के अन्तर्गत दर्शाये गए आंकड़े रु० 2,11, 400 रु० 9, 51, 000/ रु०80 000/ एवं रु० 1, 00, 000 नियंत्रण पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार से सम्बन्धित नहीं है।

उपर्युक्त कंडिका दो एवं तीन में उल्लेखित प्रत्यार्पण एवं पुनर्विनियोग आदेशों की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यार्थ इसके साथ संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि तदनुसार अन्तिम अनुदान के आंकड़ों का संशोधन एवं सत्यापन प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव के अनुसार वास्तविक व्यय को दर्शाते हुए पुनरीक्षित प्राक्कल विनियोग भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
मुख्त्यार सिंह,
श्रमायुक्त, बिहार।

Received Labour & Employment Department letter No.6/83-1085/87-L&E-30 dated 30 th January 1988 alongwith enclosures add, ressed to A.G, Bihar, Ranchi.

(Sd,Illegidble,
2.2 88
Receiving Officer.
A G,Biher.

48 एल० ए० 3

पत्र संख्या 6/बी 3-1074/86श्र०नि०-6 कंम्र

बिहार सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

सेवा में

प्रशाखा अधिकारी,

(टी० ए० 46)

महालेखाकार, बिहार का कार्यालय, रांची।

दिनांक 22 नवम्बर 1986

विषय—व्यय शीर्ष "287-श्रम और रोजगार (क) श्रम" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86 का लेखा सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप-श्रमायुक्त, बिहार पटना के पत्रांक 6/बी3-1074/86-श्र० नि० 530, दिनांक 17 अक्टूबर 1986 में विहित आदेशानुसार सत्यापन दल द्वारा आंकड़ों का सत्यापन किया गया तथा सत्यापन के क्रम में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु एक सत्यापन प्रतिवेदन इस अनुरोध के साथ संलग्न किया जाता है कि तदनुसार आंकड़ों का समायोजन करने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि आंकड़ों के समायोजनोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार पटना को अद्यतन आंकड़ों की संसूचना दी जाय। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व श्रमायुक्त, बिहार को व्यय के आंकड़ों का प्रगतिशील विवरण नहीं भेजा गया है। अतएव अनुरोध है कि व्यय शीर्ष "287-श्रम और रोजगार-क श्रम" से संबंधित आंकड़ों की सूचना श्रमायुक्त, बिहार पटना को ही दी जाय।

विश्वासभाजन,
अभियांशु कुमार राय,
मणिन्द्र कुमार,
परमानन्द प्रसाद,
नरेश कुमार।

पत्र संख्या 6/बी०3-10100/85 श्र० नि०-5 कैम्प

बिहार सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

सेवा में

अनुभाग अधिकारी (टी० ए०-46),
महालेखाकार बिहार राँची का कार्यालय, राँची ।

दिनांक 21 जुलाई 1986

विषय—व्यय शीर्ष "287"-श्रम और रोजगार (क) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86 का लेखा सत्यापन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप-श्रमायुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 6/बी3-10100/85, श्र० नि०-319, दिनांक 12 जून 1986 के निहित आदेशानुसार सत्यापन दल द्वारा आंकड़ों का सत्यापन किया गया तथा सत्यापन के क्रम में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु एक सत्यापन प्रतिवेदन इस अनुरोध के साथ संलग्न किया जाता है कि तदनुसार आँकड़ों का समायोजन करने की कृपा की जाए । साथ ही यह भी अनुरोध है कि समायोजनोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार, पटना को प्रगतिशील आंकड़ों की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,
मनिन्द्र कुमार,
31 जुलाई 1986,
राम शरण राय,
31 जुलाई 1986
जयप्रकाश झा,
31 जुलाई 1986

पत्र संख्या 6/श्रो3-10100/85-श्र० नि०-3 कैम्प

सेवा में

अनुश्रम पदाधिकारी,
(टी० ए० 46)

दिनांक 29 जुलाई 1986

विषय:—आय शीर्ष 287-श्रम और रोजगार (क) के अन्तर्गत योजनान्तर्गत लेखा सत्यापन (1985-86)।

महोदय,

विभागीय पत्रांक 339 दिनांक 12 जून 1986 के क्रम में सत्यापन दल द्वारा सत्यापन के दौरान योजनान्तर्गत पायी गई त्रुटियों के निराकरण हेतु एक संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया आंकड़ा का समायोजन कर श्रमायुक्त, बिहार, पटना को सूचित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
जय प्रकाश झा,
29 जुलाई 1986,
राम शरण राय,
29 जुलाई 1986।

दिनांक 11 फरवरी, 1986 को विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में श्रम एवं श्रम कल्याण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही—

उपस्थिति

अध्यक्ष

(1) श्री यु० वैद्यनाथन,
योजना परामर्शि-सह-विकास आयुक्त ।

सदस्यगण

(2) श्री आर० जं० पिल्ले,
विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

(3) श्री आर० यु० सिंह, सचिव,
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।

(4) श्री राजीव रंजन, विशेष सचिव,
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।

(5) श्री अशोक कुमार चौधरी,
श्रमायुक्त, बिहार ।

(6) श्री शिव प्रिय, निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण ।

2. अधिकृत समिति द्वारा श्रम एवं श्रम कल्याण प्रक्षेत्र से संबंधित परियोजना पर निम्नांकित निर्णय लिये गये:—

विभाग द्वारा अधिकृत समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि वार्षिक योजना 1985-86 में विभिन्न परियोजनाओं के मद में कुल 13.86 लाख रुपये की बचत हो रही है जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु

स्वीकृति दी जाय। बचत की राशि 13.80 लाख की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है:—

	अन्य क्षेत्रीय उप-योजना	जन जाति क्षेत्रीय उप-योजना	कुल
(i) श्रम एवं श्रम प्रशासन	4.87	1.25	6.12
(ii) शिल्प प्रशिक्षण योजना	2.82	1.41	4.23
(iii) नियोजन सेवा	2.00	1.45	3.45
योग	9.69	4.11	13.80

3. अधिकृत समिति के समक्ष उपरोक्त बचत की राशि 13.86 लाख को निम्नांकित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के निमित्त व्यय करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा उपस्थापित किया गया जिसका सारांश निम्न प्रकार है—

क्रमांक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रस्तावित राशि
1.	फारबिसगंज (छात्रावास)	1,81,200
2.	बेगूसराय (भवन एवं कर्मशाला कम्पाउंड)	1,13,800
3.	दुमका (कर्मशाला शेड)	4,11,000
4.	बक्सर (भवन)	1,96,900
5.	दीघा घाट, पटना (छात्रावास चाहारदीवारी)	3;83,000
6.	डेहरी (प्राचार्य आवास मरम्मती)	94,100
	योग	13,80,000

कंडिका 2 में वर्णित जन-जाति क्षेत्रीय उप योजना में बचत की राशि 4.11 लाख जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुमका के कर्मशाला शेड के लिये है।

प्राधिकृत समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में सहमति दी गई।

राजीव रंजन	आर० जे० पिल्ले	यू० वैद्यनाथन
विशेष सचिव,	विशेष सचिव,	योजना परामर्शी-सह-विकास
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	वित्त विभाग।	आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक 425

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पटना, दिनांक 19वीं फरवरी 1986

प्रतिलिपि—श्री

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

मदन मोहन सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

कंडिका सं०-3.7.6.3—में मजदूरों और मालिकों के बीच उठे विवादों को निपटारे में काफी विलम्ब किया गया फलस्वरूप लम्बित मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गई। इस पर विभाग को तत्परता करनी चाहिए थी।

कंडिका-3.7.6.4—दावा याचिकाओं के निपटारे में विलम्ब का कारण जिला कार्यालयों में ऐसे मामलों का अभिलेख नहीं रहता है। दोषमुक्त किये गये दावे के विश्लेषण के लिए कोई तंत्र नहीं थ। इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

कंडिका-3.7.6.5—नियोजकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार विभाग को प्राप्त है। ऐसे मामलो के निष्पादन में विलम्ब हुआ। विभाग के पास कोई अभिलेख नही थे कि कितने मामलों में सफल और असफल रहा। विभाग के पास इस तरह का अभिलेख रहना आवश्यक है।

कंडिका-3.7.7.1—श्रमिकों को जागृत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। व्यय भी हुए। श्रमिक नेताओं को भी गहन प्रशिक्षण भी मात्र प्रशिक्षित मजदूरों का संख्या का 2.7 प्रतिशत था। पचास (50) यूनियनों में से मात्र 12 यूनियनों को आर्थिक सहायता दी गई। प्रशिक्षण के प्रभाव को अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए सरकार को कोई योजना या कार्यक्रम चलाना चाहिए था।

कंडिका-3.7.7.3—कल्याण क्रिया-कलापों के लिए विशेष संगीभूत योजना के अन्तर्गत 8.18 लाख रुपये दिये गये, जिसमें मात्र 0.90 लाख रुपये व्यय हुए और 41 ग्रामीण कल्याण खोले गये, जिसमें 14 केन्द्र बिना संगठनकर्त्ता के ही चले। समिति समझती है कि विशेष संगीभूत योजना को तत्परता से लागू नहीं किया जा सका और राशि अनुपयोगी रह गई।

(1) कंडिका-3.7.6.4—दावा याचिकाओं के संबंध में जिला में अभिलेख रखने की व्यवस्था की जाय।

(2) कंडिका-3.7.6.5—के संबंध में समिति अनुशंसा करती है कि विभाग नियोजकों के खिलाफ किये गए मुकदमें के सफल और असफल का अभिलेख रखें, जिससे मामलों की जानकारी प्राप्त हो सके।

(3) कंडिका-3.7.7.3—विशेष संगीभूत योजना की अनुपयोजित राशि की अद्यतन स्थिति से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करायी जाय।

(4) कंडिका—विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इन सभी कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

श्रम एवं नियोजन विभाग से सम्बन्धित
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 खंड-II (सिविल) पर
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

क्रमांक 1--अं० प्र० वर्ष 1986-87 खंड II (सिविल) की कंडिका 2.2.4

2.2.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान।

अनुदान संख्या 17 की वर्तमान अनुदान वर्ष 1986-87 की व्यय एवं बचत की सूची नीचे दी जा रही है :—

		रु०
मूल अनुदान	..	23,25,07,000
अनुपूरक अनुदान	..	35,01,150
कुल अनुदान	..	23,60,08,150
वास्तविक व्यय	..	20,27,41,071
बचत (I)	..	3,32,67,079
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	..	9,23,200

ऊपर दिखाये गये व्यय 12,46,789 रु० सम्मिलित नहीं है जिन्हें मार्च 1987 में स्वीकृत आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किया गया था लेकिन आपूर्ति निधि में वर्ष के अन्त तक नहीं हो पाई।

(1) 3,32,67 लाख रु० की अंतिम बचत मार्च 1987 में प्राप्त किया गया 35.01 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान, यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (9.23 लाख) रु० अंतिम बचत (3,32.67 लाख) रु० से 3,23.44 लाख रु० कम हुआ।

मुख्यतः कृषि में न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू करने (0.46 करोड़) रुपये तथा रोजगार राहत योजना (2.76 करोड़)रुपये के अन्तर्गत धन-व्यवस्था के कम उपयोग के कारण नहीं बटाये गये।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1986-87

1986-87 कंडिका 2.2.4—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1986-87 के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनुदान संख्या 17 श्रम एवं नियोजन के अन्तर्गत मुख्यतः कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा रहत

योजना के अन्तर्गत क्रमशः 0.46 करोड़ रुपये तथा 2.76 करोड़ रुपये उपबन्धित धन-व्यवस्था से कम उपयोग किया गया है तथा इसके लिये कोई कारण नहीं बताया गया जो कुल धन व्यवस्था का 14.11 प्रतिशत है।

श्रम पक्ष—उपर्युक्त बचत में श्रम पक्ष (श्रमायुक्त) कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने से संबंधित है। कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत 8.1 करोड़ रुपये बचत होने का कारण यह है कि सहायक श्रम युक्त का पद अमाधोक्षक का 40 पद तब श्रम निरीक्षक (सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी) 126 पद रिक्त रहने तथा व्यय में मितव्ययीता अपनं के फलस्वरूप हुआ है।

नियोजन पक्ष—रोजगार राहत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1986-87 में 2.76 करोड़ रुपये धन व्यवस्था से कम उपयोग अथवा बचत का कोई कारण नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लेख करना है कि इस योजना को प्रयति विस्तार दिनांक 2 फरवरी 1997 को अंतिम समय में होने एवं राजपत्रित पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप बचत हुआ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति महसूस करती है कि विभाग द्वारा अनुपूरक अनुदान अधिक लिया गया और बचत हो गई। विभाग को अपने बजट पर नियंत्रण नहीं है।

(1) समिति अनुरोध करती है विभाग वास्तविकता पर आधारित बजट बनाने का प्रभावशाली कदम उठाये।

(2) समिति इस कंडिका को विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 2 अं॰ प्र॰ वर्ष 1986-87 खंड II (सिविल) की कंडिका 2.2.5

2.2.5 धन व्यवस्था का अधिकय।

श्रम एवं नियोजन विभाग में 0.35 करोड़ रुपये की अनुपूरक धन-व्यवस्था द्वारा मूल धन-व्यवस्था से वृद्धि की गयी पर व्यय, मूलधन व्यवस्था के बराबर भी नहीं हो सका फलतः 3.33 लाख रुपये की बचत हुई जिसका कारण नहीं बताया गया। यदि अनुपूरक धन-व्यवस्था को नयी सेवा मदों के लिए ही सांकेतिक धन-व्यवस्था द्वारा सीमित कर दिया गया हो, तो इसे टाला जा सकता था।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका संख्या 2.2.5 (श्रम पक्ष)--भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन है कि कुल बचत 3.33 करोड़ रुपये को देखते हुए 0 35 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए। उपर्युक्त अनुपूरक अनुदान में 0.35 करोड़ रुपये में से मात्र 0 02 करोड़ रुपये श्रम पक्ष से संबंधित है वह मात्र लेखा प्रक्रिया का था। इसका व्यय 1985-86 में बिहार आकस्मिकता को अग्रिम लेकर किया गया तथा जिसका समायोजन वित्तीय वर्ष 1986-87 में किया गया।

यह उपबंध विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रधान मंत्री सचिवालय से मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना के बीच "हौट लाईन" की स्थापना राजकीय कार्यहित में की जानी थी जिसके लिये आय-व्ययक 1985-86 में कोई उपबंध नहीं रहने के फलस्वरूप अनुपूरक व्यय विवरण में इसका उपबंध करना पड़ा। जहां तक शेष 3.31 करोड़ रुपये बचत का प्रश्न है तो अनुदान के नीचे कंडिका 3.2.4 में दिये गये मंतव्य को देखने का निदेश है। यह पशुपालन विभाग से संबंधित है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारीश

विभाग का स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। मूल अनुमान 23.25 करोड़ कुल खर्च 20 27 करोड़ शेष 2.77 करोड़ है मूल अनुदान से 3 करोड़ रुपये की बचत को देखते हुए 35 लाख रुपये अनुपूरक अनुदान की क्या आवश्यकता थी। विभाग द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। बजट प्रावधान में लगातार बचत हो रही है। विभाग बजट पर नियंत्रण नहीं है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

(1) समिति इस निदेश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग बजट को प्रभावशाली बनाने की दिशा में कारवाई करें और वास्तविक व्यय पर ध्यान दें।

कंडिका-उ० अं. प्र. वर्ष 1986-87 खंड-I (सिविल) क कंडिका 2.2.7
2 2.7 लगातार बचतें

निम्न अनुदान में लगातार बचत पायी गई--

अनुदान	बचत की प्रतिशतता		
	1984-85	1985-86	1986-87
17 श्रम और रोजगार	19.98	16.60	14.10

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका-2.2.7—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन है कि अनुदान संख्या-17 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87, 16.60 प्रतिशत एवं 14.10 प्रतिशत की बचत हुई। वर्ष 1984-85 में अनुदान संख्या-17 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत कुल अभ्यर्पित राशि 19.98 प्रतिशत की बचत में से श्रम पक्ष (श्रमायुक्त) 3.28 प्रतिशत से संबंधित है। इस बचत का मुख्य कारण है कि राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का रिक्त रहना एवं व्यय में मितव्ययिता अपनाने के फलस्वरूप बचत हुए।

2.2.7 (नियोजन पक्ष)—नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन है कि अनुदान संख्या-17 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 में लगातार 19.98 प्रतिशत 16.16 प्रतिशत तथा 14.10 प्रतिशत बचत हुई। इस प्रसंग में कहना है कि 1984-85 एव 1985-86 में बचत का विभागीय स्पष्टीकरण को लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन संख्या-286 के पृ०, 29-30 में मान लिया है। जहां तक वित्तीय वर्ष 1986-87 में बचत होने का कारण यह है कि योजना की अवधि विस्तार के संबंध में जटिल प्रक्रिया पूरी करने में समय लग जाने के कारण अंतिम समय में योजना का अवधि विस्तार हुआ जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शिक्षित रोजगारों की भत्ता का भुगतान हेतु कोषागार से समय पर राशि को निकासी नहीं हो सकी एवं मितव्ययिता अपनाने के फलस्वरूप बचत हुई।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

(1) विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-4—प्रेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 खंड-(II) (सिविल) की कंडिका 2.29 2.2.9 बचत का अभ्यर्पण

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि बचत की संभावना का पता लगाते ही सभी पूर्वानुमानित बचत का अभ्यर्पण कर दिया जाय। 1986-87 में 9.24 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष के अंत तक अभ्यर्पित की गई।

निम्नलिखित प्रत्येक अनुदानों में बचत एक करोड़ से अधिक अपना अभ्यर्पित रह गए—

क्रमांक संख्या	अनुदान का नाम और उसकी संख्या	अभ्यर्पण नहीं की गई बचत (एवं इसकी कुल बचत की तुलनात्मक प्रतिशतता) करोड़ रुपये में
6	17-श्रम और रोजगार	3.23 (97.00)

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका-2.2.8—नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कथन है कि जैसे ही बचत की संभावना का पता लगे वैसे ही बचत का अभ्यर्पण कर देना चाहिए था परन्तु वर्ष 1986-87 में 216.10 करोड़ रुपये की बचत में से 196.35 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च 1987 को वापस लिया गया। उपर्युक्त राशि में से श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 3.23 करोड़ रुपये से संबंधित है।

श्रम पक्ष—रुपये 3.23 करोड़ रुपये में से श्रम पक्ष (श्रमायुक्त), बिहार 0.35 करोड़ रुपये से संबंधित है जिसे महालेखाकार, बिहार द्वारा उक्त वर्ष को विनियोग लेखा में सम्मिलित नहीं किया गया। इस संबंध में कंडिका 2.2.4 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

कंडिका-2.2.9 (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)—अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा कार्यान्वित 'प्रवासी मजदूरों का कल्याण योजना' के अन्तर्गत राज्य के प्रवासी मजदूरों के कल्याणार्थ एवं उनकी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सृजित पदों के भरने में प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो पाने के चलते उन्हें रिक्त रह जाने तथा मितव्ययीता बरतने के फलस्वरूप वर्ष 1986-87 में 6.14 लाख की बचत हुए।

कंडिका-2.2.9 (प्रशिक्षण पक्ष)—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में विनियोग संख्या-17 में दर्शायी गई बचत का कारण अप्राप्त बताया जा[illegible] है। इस संबंध में उल्लेख करना है कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत भवन निर्माण मद में उपबंधित राशि की आयोजित

प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण कार्य आदि हेतु भवन निर्माण विभाग को राशि आवंटित की जाती है। 31 मार्च तक भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्यार्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को भेजा जाता है। भवन निर्माण विभाग से निदेशालय के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा सम्पर्क किये जाने के पश्चात भी कोई फलाफल नहीं निकला फलस्वरूप 5,43,200 रुपये की राशि को सरकार को प्रत्यार्पण करना पड़ा।

कंडिका-2.2.9(नियोजन पक्ष)—नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन है कि वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि बजट की संभावना का पता लगते ही पूर्व नियोजित बचत का प्रत्यर्पण कर दिया जाय।

उपरोक्त नियमों के मद्देनजर रखते हुए रोजगार राहत योजनान्तर्गत जो बचत हुए उक्त राशि को समय पर सरकार को प्रत्यार्पित कर दिया गया। इस संबंध में कंडिका-2.2.9 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कंडिका-2.3 श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इससे संबंधित नहीं है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग द्वारा बचत के सम्बन्ध वर्ष के अंतिम में समर्पण का कोई स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 1986-87 में 3.33 करोड़ रुपये से 9.23 लाख रुपये का समर्पण 31 मार्च 1987 को किया गया है। वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुसार बचत की संभावना का पता लगते ही समर्पण भी किया जाता है।

समिति की अनुशंसा

(1) समिति इस अनुशंसा के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुसार भविष्य में कार्रवाई करे और विभागीय पदाधिकारियों का इस तरह का निदेश भेजें, जिससे पुनः ऐसी असफलता नहीं हो सके।

क्रमांक-5 अं॰प्र॰ वर्ष 1986-87 खंड II (सिविल) की कंडिका 2.3

2.3 नयी सेवा/नयी सेवा प्रपत्र व्यय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नयी सेवा पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण और सेवा के लिए नये प्रपत्र पर विचार नहीं किया गया था। विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। राज्य लोक लेखा समिति ने अपनी 30वीं रिपोर्ट में नयी सेवा के रूप में गिनती किये जानेवाले व्यय के लिए अधिक इस प्रकार निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार एकमुश्त धन-व्यवस्था से वित्तपोषित 1 लाख रुपये और उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनाएं नई सेवा के रूप में जानी जायेंगी और इसकी जानकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विधान मंडल को दी जानी चाहिए। ब्याज वाले कर्जे और अग्रिम जो बजट में धन-व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता है, जब रकम 1 लाख रुपये से अधिक हो जाय और दूसरे मामले में धन व्यवस्था से दो-गुना हो जाये या दो लाख या इसमें से जो भी अधिक हो, नई सेवा कहलायेगी।

यह देखा गया कि अनुदान संख्या 17 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत निम्न-लिखित व्यय विभिन्न योजनाओं पर एक मुश्त धन-व्यवस्था में से खर्च किया गया था, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है:—

अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष प्रावधान अनुपूरक (लाख रुपये में)	अधिक
2क-अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
2-क 1 रोजगार		
2क1 (1) भवन (एक मुश्त)	23.00	11.26

समिति जाननी चाहेगी कि—

(1) किये गये व्यय को नई सेवा पर व्यय विभाग द्वारा क्यों नहीं माना गया और विधान मंडल से प्राधिकृत कराया गया?

धन-व्यवस्था से अधिक व्यय का क्या औचित्य है?

(2) व्यवस्थानुसार व्यय को नई सेवा पर व्यय मानते हुए विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इसकी जानकारी विधान मंडल को क्यों नहीं दी?

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 खण्ड-II (सिविल) की कंडिका 2.2.2

2. 2.2. अनावश्यक पूरक प्रावधान

फरवरी, 1988 में 1.04 करोड़ रुपये को अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक थी जबकि बचत 5.27 करोड़ रुपये की हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

1987-88 कंडिका 2.2.2-भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1987-88 के विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम के अनुसार कुल बचत 5.27 करोड़ रुपये हुई थी। इसलिए फरवरी 1988 में 1.04 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान में धन व्यवस्था अनावश्यक साबित हुई। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत कुल मूल अनुदान 24,59,57,200 और अनुपूरक अनुदान 1,04-12,000 अर्थात कुल 25,63,69,200 रुपये थे इसमें से श्रम पक्ष के मूल अनुदान 5,34,08,800 तथा अनुपूरक अनुदान 8,50,000रु० अर्थात कुल अनुदान उक्त वर्ष में 5,42,58800 रुपये थे। इसमें से गैर-योजनान्तर्गत 25,21,240 रुपये एवं योजनान्तर्गत 1,46,000 रुपये अर्थात कुल 26,67,240 रुपये कुल बचत 5,27,38,376 रु० में से श्रम पक्ष संबंधित था।

अनुपूरक अनुदान 8,50,000 रु० जो श्रमपक्ष से संबंधित है वह मात्र लेखा प्रक्रिया आया। इसका व्यय वर्ष 1986-87 में बिहार आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम से किया जा चुका था तथा उसका सामंजन वित्तीय वर्ष 1987-88 में किया गया। अतः भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कहना कि अनुपूरक अनावश्यक सिद्ध हुआ, सही नहीं प्रतीत होता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कथन है कि अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था। मूल अनुदान 24,59,57,200, अनुपूरक अनुदान 1.04,12,000 [कुल 25,63,69,200 व्यय 20,36,30,824, बचत अनुपूरक अनुदान से अधिक है। अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता ही नहीं थी। विभाग को अपने वास्तविक खर्च की जानकारी रखनी चाहिए।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा समिति को उत्तर भी उचित ढंग से नहीं दिया गया। केवल श्रम पक्ष का विवरण दिया गया जबकि विभागीय सचिव को उत्तर की सभी शाखा प्राप्त कर स्वयं संकलित कर समिति को देना है।

समिति की सिफारिश

(1) समिति द्वारा निर्देश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग इसकी पूरी समीक्षा करे और बजट को संतुलित बनाय अनावश्यक अनुपूरक लेने की चेष्टा भविष्य में न करें और वित्तीय नियम पालन करें।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 खंड-1: (सिविल) की कंडिका 2.2.4 कंडिका 2.2.4 अनुदान सं०-35 में कुल अनुदान रुपये 25.64 करोड़ में मात्र 20.36 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ। बचत एक करोड़ से अधिक (5.27 करोड़ रुपये) एवं कुल अनुदान का 20.25 प्रतिशत था। बचत का मुख्य कारण बेरोजगारी व्यक्तियों के चयन में कमी बतलाई गई है।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 2.2.4 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कथन है कि अनुदानों में से प्रत्येक 1 करोड़ रुपये से अधिक और मूल धन व्यवस्था का 10 प्रतिशत अधिक कम हो गया।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उक्त कथन के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में अनियोजन संकेतक भत्ता (बेरोजगार राहत योजना) के अधीन बेरोजगारी भत्ता मद में सं० 11,62,15,000 आवंटित था। उक्त बजट उपबंध में से 44,000/-, 50,000/- एवं रुपये 47,41,000/- का पुनर्विनियोग अलग से श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप सं० 1112, दिनांक 23 अगस्त 1988, 1720, दिनांक 19 मार्च 1988 एवं 785, दिनांक 20 फरवरी 1988 के द्वारा किया गया है तथा सरकार के मितव्ययिता परिपत्र के आलोक में 5 प्रतिशत कटौती के फलस्वरूप सं० 92,59,025 प्रत्यार्पण किया गया है। इस तरह कुल रुपये 1,40,94,25 का प्रत्यार्पण किया गया।

सरकार के मितव्ययिता परिपत्र के आलोक में 5 प्रतिशत कटौती एवं पुनर्विनियोग के बाद भत्ता मद का कुल शेष रुपये 10,22,14,975 रुपये में से 1,04,061 शिक्षित बेरोजगार के बीच रुपये 6,24,36,60 भुगतान किये गये तथा रुपये 3,97,71,335 रुपये सरकार को प्रत्यार्पण किया गया। प्रत्यार्पण का मूल कारण यह

था कि निर्धारित लक्ष्य 2,00,000 में से 95,939 शिक्षित बेरोजगारों को समयाभाव के कारण भत्ता का भुगतान नहीं किया जा सका। साथ ही साथ आवेदकों का निबंधन, नवीकरण निर्धारित उम्र सीमा की समाप्ति एवं योजना का अवधि विस्तार अंतिम समय दिनांक 22 अक्टूबर 1987 को होने के कारण सं० 3,97,71,375 अर्थात् 3.98 करोड़ का सरकार को प्रत्यार्पण (बचत) किया गया।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति को विभाग द्वारा पूरा उत्तर नहीं दिया गया। केवल एक पक्ष का उत्तर प्राप्त हुआ है। विभाग को अपने अधीनस्थ सभी पक्षों से उत्तर प्राप्त कर समेकित रूप से समिति को देना है किन्तु विभाग ने ऐसा कर अलग-अलग निदेशालय का उत्तर अलग-अलग दिया है। विभाग का उत्तर पूर्ण नहीं है। समिति अनुशंसा करती है कि—

(1) विभाग अपने स्तर से इसकी समीक्षा करे और वास्तविकता से अवगत हो निदेशालय को समुचित निदेश दें;

(2) समिति इस निदेश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कारगर कारंवाई करें और की गई कारंवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करें।

क्रमांक—3. अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987—88 खंड–II (सिविल) की कंडिका 2.6

2.6 बचत/आधिक्य का अप्राप्त स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लिखे जिनमें अंतिम अनुदान/वास्तविक खर्च का विनियोजन तथा प्रत्येक उप-शीर्ष में उनमें अंतर दर्शाया होता है। नियंत्रक पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे विभिन्न शीर्षों में हुए महत्वपूर्ण अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकें। एक उप-शीर्ष अनुदान सं०-35 छोड़ कर किसी भी उप-शीर्षों के अन्तर्गत बचत/आधिक्य का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि लोक लेखा समिति ने अपने 242 वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि बचत/आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को सभी विभागों द्वारा भेजा जाय

कंडिका 2.6 बचत/आधिक्य का अप्राप्त स्पष्टीकरण—

श्रम पक्ष—वित्तीय वर्ष 1987-88 के प्रारूप विनियोग लेखे का श्रम पक्ष से संबंधित उत्तर विभागीय ज्ञापांक 6/बी-1075/90 श्र० नि०-961, दिनांक 11 दिसम्बर 1990 (प्रतिलिपि संलग्न) महालेखाकार, बिहार, रांची को दिया गया। अतः महालेखाकार का यह कथन कि संबंधित विभाग से अन्तर का कारण नहीं दिया गया है, सही प्रतीत नहीं होता है।

कंडिका-2.6-(समाजिक सुरक्षा निदेशालय)—इस कंडिका में वित्तीय वर्ष 1984-85 में 482, 1985-86 में 595 तथा 1986-87 में 472 मामलों की संख्या जिनके बारे में स्पष्टीकरण महालेखाकार, बिहार, रांची को नहीं दिया गया है, का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि निदेशालय द्वारा विधिवत सभी योजनाओं के अधीन वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत राशि का प्रत्यर्पण स्पष्टीकरण के साथ वित्त विभाग को दिया जाता रहा है।

कंडिका-2.6-(नियोजन पक्ष)—जहाँ तक अंतिम अनुदान एवं व्यय में अन्तर का स्पष्टीकरण देने का प्रश्न है इसके संबंध में उल्लेख करना है कि वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को लोक लेखा समिति द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन सं० 2;6 के पृ० 25, द्रष्टव्य है। जहाँ तक वर्ष 1986-87 का स्पष्टीकरण देने का संबंध है यह स्पष्ट करना है कि वर्ष 1986-87 का स्पष्टीकरण 674, दिनांक 31 अगस्त 1987 के द्वारा बचत के कारणों का स्पष्ट कर महालेखाकार, बिहार को भेज दिया गया है।

कंडिका 2.6—बचत/आधिक्य का अप्राप्त स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 1987-88 के प्रारूप विनियोग लेखे का श्रम पक्ष में संबंधित का उत्तर (ज्ञापांक 6/बी 3-1075/90-श्र० नि०-961, दिनांक 11 दिसम्बर 1990 (प्रतिलिपि संलग्न) महालेखाकार बिहार, रांची को दिया गया। महालेखाकार का यह कथन कि संबंधित विभाग के अन्तर का कारण नहीं दिया गया है, सही प्रतीत नहीं होता है।

संख्या-6/बी3-1075/90 श्र० नि०-961

बिहार सरकार,

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

पत्र संख्या ए० ए० 2-11 (35) 87-88/74, दिनांक 31 अगस्त 1990 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि कंडिका संख्या ए-2230 श्रम और रोजगार ए-91-श्रम के अधीन कंडिका संख्या ए1 (1) (1), ए1 (1) (2) ए1 (2) (1),

ए1 (2) (2), ए1 (2) (3), ए1 (4) (4), ए1 (4) (5), ए1 (5) (1) ए1 (6) (2), ए1 (6) (3), ए1 (6) (4), ए1 (6) (5), ए 1(6) (7) में दर्शाये गये मूल उपबन्ध, अनुपूरक उपबन्ध, पुनर्विनियोग एवं प्रत्यर्पण तथा अंतिम अनुदान के आंकड़े सही है। कंडिका संख्या ए1 (1) (1) में दर्शाये गये उपबन्ध सही है।

2-किन्तु कंडिका संख्या ए1 (6) (6) के स्तम्भ-1 में दर्शाये गये उप-शीर्ष के अधीन वर्ष 1987-88 के संबंध में कहना है कि इस तरह का कोई उपबन्ध और पुनर्विनियोग नहीं किया गया है क्योंकि यह उप-शीर्ष में क्रियाशील नहीं था और न इससे संबंधित कोई योजना कार्यान्वित हुई है। अतएव इसे विलोपित करने की कृपा की जाय।

3-वास्तविकी के आंकड़ों की एक विस्तृत विवरणी आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

4-अतः आपसे अनुरोध है कि विनियोग संख्या-35 (मुख्य शीर्ष 2230) के अधीन संलग्न विवरणी में अंकित वास्तविकी के अनुसार अपने कार्यालय अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

6/वी०-2001/88-श्र० नि०-5 शिविर रांची, दिनांक 16 दिसम्बर 1988

विभागीय पत्रांक 6/वी3-2001/88-श्र० नि०-521, दिनांक 11 दिसम्बर 1987 में पार्ट II में वर्ष 1986-87 में बिहार आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम की सूची संलग्न की गयी थी, जिसका सामंजन वित्तीय वर्ष 1987-88 के लेखा में किया जाना था। परन्तु उसे अभी तक समंजित नहीं किया गया है। अतः वर्ष 1986-87 में लिए गए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की सूची पुनः संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि उनका सामंजन कर देने की कृपा करें। प्रगतिशील व्यय में उक्त आंकड़ों (बिहार आकस्मिकता निधि) के सत्यापन प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

कृपया संलग्न विवरणी ( ) के अनुसार व्यय आंकड़ों का समायोजन करते हुए इसकी सूचना नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार, पटना को भेजने की कृपा की जाए।

STATEMENT I

Consolidated Abstract of Transfer entries under the head 2230 Labour & Employment -A- Labour during the year 1987-88.

(+)		(—)	
(1) Commissioner of Lobour		(1) Commissioner of Labour	
Wages	5,300.00	Salary	7,39,000-00
Electricity	1,025 00	CLA	3,12.000.00
Rent	705 00	TE	8,405.00
		Telephone	21,000.00
		OE	17,500 00
Total	7,030.00	Total	10,97,905.00
(2) PBX		(2) PBX	
Salary	15,905.00	Tel.	5,73,000.00
CLA	10,695.00		
OE	5,84,505.00		
Total	6 11,105 00	Total	5,73,000.00
(3) Conciliation Board for Trade disputes		(3) Conciliation Board for Trade Disputes.	
Wages	2,340 00	Salary	72,500 00
TE	7.275.00	CLA	37,800 00
Tel.	5,500.00	OE	15,300.00
Ele.	2,685 00		
Rent	18,400.00		
Total	36,200.00	Total	1 25.600-00

(4) Labour Laws		(4) Labour Laws	
Wages	7,875.00	Salary	8,99,500.00
TE	1,59 105.00	CLA	2,74,500.00
Tel.	45,200.00	OE	1,54,800.00
Elec	23,255.00	MV	3,000.00
Rent	1,17,500.00		
Total	3,52,985.00	Total	8,31,800.00
Grand Total	10,07,270.00	Grand Total	26,28,305.00
(5) M. W. Act (N. P.)		(5) M. W. Act (N. P.)	
Wages	53,570.00	Salary	1,49,205.00
Tel.	23000.00	CLA	6,16,755.00
Elec.	42,350.00	TE	3,95,400.00
Rent	3,11,000-00	OE	6,62,000.00
M. V.	2,5[illegible].745.00		
Total	6,86,665.00	Total	18,23,360.00
(6) Inspector of Boilers		(6) Inspector of Boilers	
Salary	41,300.00	CLA	11,400.00
TEL.	2,500.00	OE	32,600.00
Elec.	1,00[illegible].00		
Rent	29,000.00		
Total	74,000.00	Total	44,000.00
(7) Inspector of Factories		(7) Inspector of Factories	
Salary	1,47,000.00	CLA	20,300.00
Wages	17,200.00	OE	1,26,700.00
TE	5,200.00		
Tel.	31,600.00		
Elec.	17,200.00		
Rent	77,000.00		
Total	2,95,200.00	Total	1,47,000.00
Grand total	20,63,535.00	Grand Total	46,42,665.00

(8) E. H. R.		(8) E. H. R.	
Wages	29 500.00	Salary	1,00,300.00
Tel	14,300.00	CLA	77,900.00
Electricity	9,000.00	T. E.	27,100.00
Rent	1,23,500.00	O. E.	12,02,000.00
Machine	18,200.00	M. V.	5,900.00
Mat. of Supply	1,30,180.00		
Medicine	39 500.00		
Total	3,64,180.00	Total	14,13,200.00

(9) Welfare of Migrant Labour		(9) Welfare of Migrant Labour	
Salary	25.000 00		NIL
CLA	5,600.00		
		Total	NIL

(10) Collection of Labour Statistics.		(10) Collection of Labour Statistics.	
Salary	54,400.00		NIL
CLA	52,395.00		
TE.	44,000.00		
Telephone	900.00		
O. E.	6,900.00		
Total	1,58,595.00	Total	NIL
Grand Total	26,16,910.00	Grand Total	60.97,165.00
		(—)	41.300,00
			60,55,865.00

PLAN

(Other Sub-Plan)

(M. W. Act.)	(+)	(M. W. Act.)	(—)
(11) कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन तंत्र का सुदृढ़ करण।		(11) कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन यंत्र का सुदृढ़ीकरण।	
वेतन—	62 '200.00	कार्यालय व्यय—	1,17,700.00
जी० भ० भत्ता—	39,700.00		
यात्रा व्यय —	22,495.00		
अनुरक्षण (मो०गा०)	8.71,375.00		
मजदूरी—	700.00		
मशीनें उपकरण—	10,000.00		
किराया, महसूल और कर	10,000.00		
योग—	10,16,570.00	योग—	1,17,700.00
(Vitalisation) (12) औद्योगिक श्रम कल्याण केन्द्रों का सबलीकरण।		(Vitalisation) (12) औद्योगिक श्रम कल्याण केन्द्रों का सबलीकरण।	
सामग्री और पूर्तियाँ—	9,990.00	शून्य	
योग—	9,990.00	योग— शून्य	
(13) औद्योगिक विवाद के लिए श्रम समझौता मंडल का सुदृढ़ीकरण।		(13) औद्योगिक विवाद के लिए श्रम समझौता मंडल का सुदृढ़ीकरण।	
वेतन—	38,835.00	शून्य	
जी० भा० भत्ता—	14,025.00		
योग—	47,860.00	योग— शून्य	
(14) ग्रामीण शिविरों का संगठन		(14) ग्रामीण शिविरों का संगठन	
सामग्री और पूर्तियाँ—	97,500.00	कार्यालय व्यय—	97,500.00
योग—	97,500.00	योग—	97,500.00

(15) ग्रामीण श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना।		(15) ग्रामीण श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना।	
मजदूरी—	3,300.00	वेतन—	39,285.00
सामग्री और पूर्तियां—	30,675.00	जी० भा० भत्ता—	37,450.00
किराया महसूल और कर	15,800.00	कार्यालय व्यय—	50,410 00
योग—	49,725.00	योग—	1,27,145.00

(16) कारखाना निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण।		(16) कारखाना निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण।	
वेतन—	1,52,900.00	कार्यालय व्यय—	24,400.00
जी० भा० भत्ता—	89,500.00		
यात्रा व्यय—	18,500.00		
किराया, महसूल और कर	24,900.00		
योग—	7,85,800.00	योग—	24.400.00

जन-जाति क्षेत्रीय उप-योजना

(17) ग्रामीण शिविरों का संगठन	(17) ग्रामीण शिविरों का संगठन	
शून्य	सामग्री और पूर्तियां—	3,962.65
योग—शून्य	योग—	3,962.65

(18) औद्योगिक श्रम कल्याण केन्द्रों का सबलीकरण।		(18) औद्योगिक श्रम कल्याण केन्द्रों का सबलीकरण।
सामग्री और पूर्तियां—	9,990.00	शून्य
योग—	9'990.00	योग—शून्य

(19) ग्रामीण श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना		(19) ग्रामीण कल्याण केन्द्रों की स्थापना	
वेतन--	38,002.00	कार्यालय व्यय—	60,600.00
जी०या०भत्ता---	19,001.25		
मजदूरी---	1,000.00		
यात्रा व्यय---	4,200.00		
किराया, महसूल और कर-	9,000.00		
सामग्री और पूर्तियां—	1,20,000.00		
योग—	1,91,303.25	योग—	60,600.00
(20) कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन यंत्र का सुदृढ़ीकरण।		(20) कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन यंत्र का सुदृढ़ीकरण।	
वेतन—	38,100.00	जी०या० भत्ता—	32,200.00
मजदूरी—	1,000.00		
कार्यालय व्यय---	1,500.00		
किराया, महसूल और कर-	7,200.00		
मशीन और उपकरण—	5,000.00		
विद्युत व्यय—	500.00		
योग—	53,300.00	योग—	32,200.00
(21) कारखाना निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण।		(21) कारखाना निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण।	
वेतन--	42,700.00	कार्यालय व्यय—	19,500.00
जी०या०भत्ता--	23,300.00		
मजदूरी---	500.00		
यात्रा व्यय—	6,495.00		
किराया, महसूल, कर---	20,000.00		
अनुरक्षण (मो०गा०)	6,800.00		
योग--	99,795.00	योग—	19,500.00
जी०टी०—	18,61,833.25	जी०टी०—	4,83,007.65

(+)

(22) Labour-02 (B) Employment (N.P.)

Employment Relief Scheme

Other charges—29,09,622.00

Total 29,09,622.00

(−)

(22) Labour-02 (B) Emloyment (N.P.)

Employment Relief Scheme

Nil

Total — Nil

(23) PLAN Other Sub-plan

Part.II (B.C.F.)

Minimum wages act in Agriculture (OSP)

M.V. 7,49,492.60

Total— 7,49,492.60

(24) Tribal Sub-plan

Establishment of Rural Welfare Centre.

Supply & Material : 1,00,000.00

Total : 1,00,000.00

G.T. (B.F.) 8,49,492.60

Grand Total (+) 73,88,365.25

Grand Total (−)73,88,365.25

Total	(+)	Total (−)
Page 1 to 3	26,16,910.00	60,55,865.00
Page 4 to 6	18,61,833.25	4,83,007.65
Page 7	29,09.622.00	8,49,492,60
	(+) 73;88,365.25	(−) 73,88,365.25

Statement II

Part—II B.C.F. Advance 1986—87
PLAN

(O.S.P.)

(1) Strengthening of Implementation machinary under M.B. Act in Agriculture

T.V. Nos.	M. V.
Sectt.—29193/87	4,48,616.00
29293/87	10,216.60
29373/87	93,850.00
29473/87	94,016.00
39873/87	1,02,794.00
Total :	7,49,492.60

T.S.P.

(2) Estt. of Rural Labour Ranchi—44973/87	Material & Supply far under.	1,00,000.00
	Total :	1,00,000.00

Grand Total : 8,49,492 60

Demand No. 35 | PLAN-OSP | Actuals 1987-88

Major Head 2230

Sl. No.	Unit	Factory	Camp	Legal aid	Minimum wages Act in Agriculture.	Trade Dispute.	Vitalisation	Establishment of rural LWC
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Salary	3,51,200	65,365	..	2,62,600	85,100	..	1,94,500
2	CLA	1 59 800	27.840	..	1,31,600	35 825	..	94,500
3	TE	35,000	5,000	..	48,200	1 500	..	10,000
4	OE	25 690	33,000	..	68,500	..	..	15,000
5	Rent, Rates & Taxes	27 900	..	..	10,000	..	..	25,000
6	Machine & Equipment.	..	..	..	10,000	..	..	..
7	M V.	..	..	..	8,71,880	..	..	—
8	Wages	..	1,000	..	700	..	..	5,000
9	Supply & Materials.	..	56,000	..	..	..	10,000	57,000
10	Electric	..	..	..	..	..	..	..
	Total—	5,99,590	1 88,205	NIL	14,03,480	1,22,425	10,000	4,01,000

Demand No. 35 PLAN (TSP) Actuals 1987-88

Major Head 2230

Sl. no.	Unit	Factory	Camp	Legal aid	M. w Act in Agriculture.	Vitalisation	Labour Welfare Centre.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Salary	2,46,100	..	..	1,42,000	..	72,700
2	OLA	1,10,600	..	—	67,000	..	36,100
3	Wages	500	..	..	1,000	..	1,000
4	TE	15,000	—	..	10,000	..	5,000
5	OE	16,400	..	..	28,500	..	13,000
6	Rent, Rates & Taxes.	20,000	..	..	7,200	..	9,000
7	Machine & Equipment	..	..	..	5.000	..	..
8	M. V.	6,500	..	..	..	..	..
9	Supply & Material	..	..	..	..	10,000	1,20,000
10	Electric	—	..	..	500	..	..
11	Minor Work	200	..	..	..	..	..
	Total—	4.15,300	NIL	NIL	261200	10,000	2,56,800

NON-PLAN

Sl. no.	Unit	Commissioner of Labour.	PBX	Trade dispute.	Labour Laws
1	2	3	4	5	6
1	Salary	34,73,855	2,56,670	10,24,130	50,71,610
2	C. L. A.	14,70,070	1,21,080	3,93,070	21,46,460
3	Wages	6,565	..	3,515	11,000
4	T. E.	1,58,000	2,100	53,000	6,41,000
5	O. E.	1,32,520	6,18,000	44,865	2,71,455
6	Electric	4,390	..	2,685	27,050
7	Telephone	20,000	69,000	55,00	53,000
8	Rent, Rates & Taxes.	3,750	..	20,775	1,52,895
9	Grant in-aid	..	..	..	..
10	M. W.	..	..	..	15,000
11	Medicine	..	..	..	..
12	Supply & Material.	..	..	..	..
13	Machine & Equipment.	..	..	..	..
	Total—	52,70,090	10,66,850	15,47,560	84,90,470

Minimum Wages.	Steam Boiler	Inspected	SHR	Statistics	Remarks
7	8	9	10	11	12
1,02,21,940	6,36,515	37,54,500	32,63,555	12,74,395	मद, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (श्रम-पक्ष) के सत्यापन दल द्वारा दिये गये सत्यापन प्रतिवेदन संख्या 6/डी3-2001 88 श्रम नि० 5 वि०यय रांची, दिनांक 16 दिसम्बर 1988 में दिये गये सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त व्यय व्यय हुये हैं। प्रतिलिपि संलग्न।
41,86,696	2.74,275	16,95,900	14,82,745	5,44,245	
76,985	..	20,000	38,685	..	
13,60,000	84,000	3,93,000	96,000	84,000	
4,83,690	21,000	2,42,600	1,24,095	45,245	
42,350	1,005	20.000	10,000	..	
32,235	2,500	33,000	14,360	5,000	
3,72,000	34,385	1,00,000	1,56,815	..	
..	..	..	—	..	
3,54,916	..	..	1,350	..	
..	..	..	39,500	..	
..	..	..	1,36,185	..	
..	..	..	18,200	..	
1,71,20,805	10,53,680	62,59,009	53,81,490	19,52,885	

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

पटना :
दिनांक 19 नवम्बर 1999

विशेश्वर खां;
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा;
पटना।

बि० स० मु० (एल० ए०)—48—1000—8.3.2000—सदवर्त

अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2000